

बदलते मौसम में वनाग्निका प्रबंधन

प्रलिस के लयः

वनाग्नः, जलवायु परवऱतन, जंगल की आग पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परषऱद, एनडीएमए, वन सर्वेक्षण रषऱरट ।

मेन्स के लयः

वनाग्नः और इससे संबधतऱ चुनौतयऱँ ।

चर्चा में क्यऱँ?

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परषऱद (CEEW) द्वारा जारी एक अधययन (मैनेजगऱ फऱरैस्ट फायर इन ए चेंजगऱ क्लाइमेट) के अनुसार, पछऱले दो दशकऱँ में वनाग्नः की आवृत्तऱ और तीव्रता के साथ-साथ इस तरह की वनाग्नः वाले महीनऱँ की संख्यऱ में वृद्धऱ हुई है ।

- CEEW एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, एशयऱ के अग्रणी गैर-लाभकारी नीतऱ अनुसंधान संस्थऱनऱँ में से एक है, जो संसाधनऱँ के उपयोग, पुनः उपयोग और दुरुपयोग को प्रभावतऱ करने वाले सभी मामलऱँ पर शोध हेतु समरपतऱ है ।

वनाग्नऱ क्यऱ है?

- इसे **बुशफायर (Bushfire)** या **जंगल की आग** भी कहा जाता है । इसे कसऱी भी जंगल, घऱस के मैदान या टुंडरा जैसे प्राकृतकऱ संसाधनऱँ को अनयंत्रतऱ तरीके से जलाने के रूप में वर्णतऱ कयऱ जा सकता है, जो पर्यावरणीय परसऱथतऱयऱँ जैसे- हवा, स्थलाकृतऱ आदऱ के आधार पर फैलता है ।
- वनाग्नः की घटनाएँ वन क्षेत्र की सफऱई जैसे- मानवीय कारयऱँ, अत्यधकऱ सूखा या दुरलभ मामलऱँ में **आकाशीय बजऱली** गरऱने के कारण प्रेरतऱ हो सकती हैं ।
- वनाग्नः को प्रेरतऱ करने के लयऱे तीन स्थतऱयऱँ की आवशयकता होती है: **ईधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा/ऊर्जा/गर्मी का स्रोत** ।

अधययन के नषऱकर्षः

- वनाग्नः की घटनाओं में वृद्धऱः
 - पछऱले दो दशकऱँ के दूरऱन वनाग्नः की घटनाओं में दस गुना वृद्धऱ हुई है और 62% से अधकऱ भारतीय राज्य उच्च तीव्रता वाली वनाग्नः के लयऱे प्रवण हैं ।
 - तेज़ी से हो रहे जलवायु परवऱरतन के कारण आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडशऱ और महऱरऱष्ट्र जैसे राज्य उच्च तीव्रता वाली वनाग्नः की घटनाओं के लयऱे सबसे अधकऱ प्रवण हैं ।
 - पछऱले दो दशकऱँ में वनाग्नः की सर्वाधकऱ घटनाएँ मजोरम में घटतऱ हुई हैं, इसके 95% से अधकऱ ज़ऱऱे वनाग्नः के लयऱे हॉटस्पॉट हैं ।
 - जो ज़ऱऱे पहले बऱढ़ प्रवण थे, अब जलवायु परवऱरतन के परणऱमस्वरूप 'स्वैपगऱ ट्रेंड' के कारण सूखा प्रवण बन गए हैं ।
 - 75% से अधकऱ भारतीय ज़ऱऱे चरम जलवायु घटना के प्रतऱ 'हॉटस्पॉट' के रूप में वकऱसतऱ हुए हैं, और 30% से अधकऱ ज़ऱऱे अत्यधकऱ वनाग्नः वाले 'हॉटस्पॉट' हैं ।

वनाग्नऱ हॉटस्पॉट राज्य और ज़ऱऱे		
दशक	हॉटस्पॉट राज्य	हॉटस्पॉट ज़ऱऱे
2000-19	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडशऱ, महऱरऱष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणऱपुर, मजोरम, नगऱलैंड, उत्तरऱखंड	दीमा हसाओ, लुंगलेई, लवंगतलाई, ममतऱ, हरदा, जबलपुर, होशंगऱबाद, नऱरऱयणपुर, उधम सहऱ नगर, कंधमऱल, गढ़चऱरौली


■ पूर्वोत्तर में वनाग्निकी अधिक घटनाएँ:

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में हाल के दशकों में वनाग्निकी घटनाओं में वृद्धि हुई है।
- वर्षा संचित क्षेत्र होने के बावजूद पूर्वोत्तर भारत में मार्च-मई माह के बीच शुष्क मौसम में वृद्धि के दौरान और खराब वर्षा वितरण पैटर्न के कारण वनाग्निकी अधिक घटनाएँ देखी जा रही हैं।

■ दुर्घटना की लंबी अवधि:

- इससे पहले वनाग्निकी घटनाएँ प्रायः गर्मी के महीनों के दौरान यानी मई और जून माह के बीच होती थी। अब वसंत के दौरान यानी मार्च एवं मई माह के बीच भी जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएँ देखी जा रही हैं।
- पहले जंगल में आग लगने की अवधि दो से तीन महीने तक होती थी, लेकिन अब यह अवधि लगभग छह महीने तक बढ़ गई है।
 - वर्ष 2019 में [भारतीय वन सर्वेक्षण](#) की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि भारत में 36% वन क्षेत्र उन क्षेत्रों में आते हैं जो वनाग्नि से ग्रस्त हैं।

More than 62% of Indian states are prone to high-intensity forest fire events (2000–19)



//

वनाग्नि पर हालिया डेटा:

- [भारतीय वन सर्वेक्षण](#) के अनुसार, **30 मार्च, 2022 तक भारत में वनाग्निकी कुल 381 घटनाओं की सूचना** मली है। वनाग्निकी सर्वाधिक (133) घटनाएँ मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं।
 - मार्च 2022 में वनाग्निकी अधिकांश घटनाएँ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में दर्ज की गई थीं।
- राजस्थान के [सरसिका टाइगर रिजर्व में हाल ही में लगी आग](#) को भी बेमौसम माना गया था, यहाँ उच्च तापमान के कारण वनाग्निका प्रसार देखा गया।
- जनवरी 2021 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (कुल्लू घाटी) और नगालैंड-मणिपुर सीमा ([जूकु घाटी](#)) में लंबे समय तक आग लगी रही।
- हाल की वनाग्निकी घटनाओं में मध्य प्रदेश के [बाँधवगढ़ वन अभ्यारण्य](#) में हुई घटना भी शामिल है।

CEEW की सफ़ारिशें:

- **आपदा के रूप में पहचानना:**
 - वनाग्निकी को "प्राकृतिक आपदा" माना जाना चाहिये और इसे [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण](#) के अधीन लाया जाना चाहिये।
 - इसके अलावा वनाग्निकी प्राकृतिक आपदा नामित कर उसके प्रबंधन हेतु वित्तीय आवंटन भी किया जाना चाहिये।
- **चेतावनी प्रणाली/अलर्ट सिस्टम विकसित करना:**
 - वनाग्निकी के लिये केवल एक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जो वास्तविक समय प्रभाव-आधारित अलर्ट जारी कर सके।
- **अनुकूलनीय क्षमताओं को बढ़ाना:**
 - ज़िला प्रशासन और वनों पर आश्रित समुदायों के लक्षित क्षमता-निर्माण पहलों से वनाग्निकी के कारण होने वाले नुकसान एवं क्षतिको रोका जा सकता है।

■ **स्वच्छ वायु युक्त आश्रय प्रदान करना:**

- राज्य सरकार/राज्य वन विभागों (एसएफडी) को सरकारी स्कूलों और सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक भवनों को नरिमति करना चाहिये जिनमें स्वच्छ हवा हेतु उपाय जैसे- एयर फिल्टर की व्यवस्था हो, ताकि वनाग्ना के कारण उत्पन्न धुएँ से प्रभावित होने वाले समुदायों को स्वच्छ वायु प्रदान की जा सके।

वनाग्ना की घटनाओं में कमी के प्रयास:

- वर्ष 2004 में FSI (भारतीय वन सर्वेक्षण) ने वनाग्ना की रियल टाइम निगरानी हेतु **फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम** विकसित किया।
 - जनवरी 2019 में इस सिस्टम का उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया जो अब **नासा** और **इसरो** से एकत्रित उपग्रह आधारित जानकारी का उपयोग करता है।
- **वनाग्ना पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPFF) 2018** और वनाग्ना रोकथाम एवं प्रबंधन योजना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/managing-forest-fires-in-a-changing-climate>

